सबसे महपूण िनयम व शत रिज ड ऑिफस: 21, पटुलोस रोड, चे ई - 600 002 कॉप रेट ऑिफस: 46, वाइट्स रोड, रोयापे , चे ई - 600014

फोन: 044-28515267, फै : 044-28582235 सेवाथ
सीआईएन: U65922TN1999PLC042759

तारीख:______

____

सर/मैडम,

िवषय: लोन के िलए आपकी ए ीके शन लोन के िलए आपकी ए ीके शन के संदभ म, हम क म करते ह िक हमने नीचे िलखे अनुसार ऑफर िदया है:

1.लोन का िववरण

a) लोन की रािश: ₹_ (पये ____________________________________ मा). लोन की अंितम मंजूरी िन िल खत के अधीन होगी:

(i) आय का माण और अ घोिषत लोन िज़ ेदा रयां.

(ii) कं पनी के अिधका रयों ारा िनरी ण के बाद ॉपट िब ी-यो पाई जाए, वह देश के कानूनों का पालन करती हो और लोन की रािश कवर करने लायक कीमत रखती हो.

(iii) ॉपट का मािलकाना हक पूरी तरह से यर हो, मा हो, ऋणभार से मु हो और िब ी-यो हो.

b) ____ ोड : _______(नॉन-हाउिसंग लोन)

c) लोन का उ े : ______________________

d) अविध: ___ (महीने/वष) साथ ही ___ महीनों का मोरटो रयम

e) ____ ाज दर: % ित वष (िनि त) मािसक अंतराल पर

f) समान मािसक िक (ईएमआई): ₹____

2.फीस और अ शु :

a) ोसेिसंग फीस:-

(i) अि म ोसेिसंग फीस: [₹ (या) %]______+ जीएसटी (वापस नहीं होगी)

(ii) देय शेष: [₹ (या) %]__+ जीएसटी, लोन िड समट से पहले. (लोन रािश म बाद म कोई वृ /कमी होने पर यह बदल जाएगा)

b) आय मू ांकन फीस (अगर लागू हो): ₹_ (वा िवक) + जीएसटी (अि म म देय और वापस नहीं होगी)

c) डॉ ूमटेशन शु : ₹ ____ + जीएसटी (के रल - ₹800/-, राज ान - ₹700/-, महारा और गुजरात ₹600/-, तिमलनाडु - ₹1000/- और अ रा ₹450/-)

d) हर ॉपट के िलए लागू सीईआरएसएआई शु : ₹100 + जीएसटी

e) आंत रक कानूनी और तकनीकी मू ांकन शु : ₹3000/- ेक + जीएसटी लागू

f) बाहरी कानूनी और तकनीकी मू ांकन शु (अगर बाहरी राय ली जाए): ₹3000/- से लेकर ₹10000/- तक + जीएसटी

g) सब-रिज ार ऑफिस (एसआरओ) म ा ूटी (एमओटीडी) फीस (संबंिधत रा सरकार के ा और रिज ेशन अधिनियम के अनुसार) और रिज ेशन शु : जो लागू हों

h) ेटमट शु : ₹500/- + जीएसटी. िव वष म पहले अनुरोध पर लागू नहीं.

i) बकाया लोन/सेटलमट िफगर ेटमट शु : ₹500/- + जीएसटी

j) डॉ ूमट रटीवल शु : शू

k) चेक/एनएसीएच/ईसीएस/ऑटो डेिबट रटन शु : ₹500/- + जीएसटी ित घटना, ित माह 2 घटनाओं तक, और ₹10,00/- + जीएसटी ित घटना, ित माह 2 से अधिक घटनाओं के िलए.

l) बक शु : िडमांड डा (डीडी) से िड समट िकए जाने पर ₹1/- ित ₹1000/- + जीएसटी.

m) डॉ ूमट हडिलंग शु : तिमलनाडु के िलए ₹1200/- + जीएसटी, आं देश और तेलंगाना के िलए ₹1500/- + जीएसटी, कनाटक के िलए ₹1550/- + जीएसटी, म देश, ओिडशा, राज ान, पि म बंगाल, गुजरात और महारा के िलए ₹2500/- + जीएसटी (जहां भी रिज ेशन के िलए िकसी बाहरी एजसी को संल िकया गया हो).

n) एमओटीडी कसलेशन/बंधक समा शु : वा िवक/िकसी भी तृतीय प ारा लगाए गए शु ों के अनुसार, और साथ म लागू टै तथा वैधािनक शु .

o) सीए सिटिफके शन फीस: ₹10000/- + जीएसटी (उन मामलों म जहां ाहक को फॉम 26A िदया गया हो)

p) आउट ेशन चेक शु : ₹4/- ित ₹1000/- + जीएसटी

q) पीईएमआई/ईएमआई के िलए नॉन-पीडीसी/नॉन-मडेट कले न: ₹300/- + जीएसटी. तब लागू जब हम भुगतान के िलए फॉलोअप करना पड़े.

r) मडेट म एनएसीएच/ईसीएस/ऑटो डेिबट हटाकर चेक लगाना: ₹500/- + जीएसटी

s) रीपज़ेशन शु : वा िवक खच + जीएसटी

t) या ा खच ित माह: ₹200/- + जीएसटी (2 या अधिक देय रािशयां, जो बकाया ह)

u) ूरो शु : ₹49/- + जीएसटी ित ाहक और ₹335/- + जीएसटी ित गैर- ाहक

v) पूव-भुगतान शु : लोन की अविध के दौरान लोन कभी भी आंिशक या पूण प से चुकाया जा सकता है. आंिशक पूव-भुगतान इस शत के तहत ीकार िकए जाएंगे िक एक िव वष म ऐसे के वल तीन आंिशक भुगतान िकए जाएंगे और हर बार पूव-द रािश कम से कम 6 ईएमआई के बराबर होगी. यिद पूव-द रािश 6 ईएमआई से कम है, तो रािश को अि म म ा ईएमआई के प म रखा जाएगा.

आंिशक पूव-भुगतान उस महीने की 1 तारीख से भावी िकया जाएगा, िजसम आंिशक पूव-भुगतान िकया गया है, चाहे भुगतान की तारीख कोई भी हो. फल प, ाहक को महीने की 1 तारीख से आंिशक पूव-भुगतान की तारीख तक आंिशक पूव-भुगतान पर ाज का भुगतान करना होगा.

II) िफ ाज दर के तहत बुक िकए गए नॉन-हाउिसंग लोन के िलए ी-पेमट शु

यों ारा िलए गए नॉन-हाउिसंग लोन के संबंध म, अगर लोन का आंिशक या पूण भुगतान िकया जाता है और िकसी भी ोत से भुगतान िकया जाता है, तो ी-पेमट शु @ 4% लागू होगा.

गैर- यों ारा िलए गए नॉन-हाउिसंग लोन के संबंध म, अगर लोन का आंिशक या पूण भुगतान िकया जाता है और िकसी भी ोत से भुगतान िकया जाता है, तो ी-पेमट शु @ 4% लागू होगा.

गैर- म शािमल ह ो ायटरिशप, पाटनरिशप फम, ाइवेट या प क िलिमटेड कं पिनयां, ट , सोसायटी इ ािद.

ऊपर बताए गए शु माकट की ितयों के कारण बदल सकते ह.

एसएचएफएल को, जैसे वह उिचत समझे वैसे, समय-समय पर पूव- ापी भाव से िकसी भी शु या फीस म बदलाव करने का या नया शु अथवा फीस लागू करने का अधिकार है. एसएचएफएल ऐसे बदलाव सूिचत करने के िलए कं पनी के नोिटस बोड/आिधका रक वेबसाइट पर

जानकारी दिशत करने, उधारकताओं को एसएमएस/प भेजने, अखबार म काि शत करने या िकसी भी अ मा म जो वह उिचत समझे, का िवक चुन सकता है. अगर ऐसे बदलाव से ाहक को हािन है तो वे 60 िदनों के भीतर और नोिटस िदए िबना अपना अकाउंट बंद कर सकते ह या िकसी भी अित र शु या ाज का भुगतान िकए िबना उसे च कर सकते ह.

* सभी शु िनकटतम पये तक राउंड ऑफ िकए जाएंगे. कै श म िकए गए भुगतानों पर िबंदु 13 म बताया गया कै श हडिलंग शु लगेगा.

3. ाज दर :

(i) एसएचएफएल ारा दान की जाने वाली िनि त ाज दर. एसएचएफएल ारा िनिद िनयम व शत के अनुसार िफ ाज दर लागू होगी

4. वह तारीख जब वाि षक बकाया बैलस ेटमट जारी िकया जाएगा :

ाहक के अनुरोध पर वष म एक बार िबना िकसी शु के अकाउंट ेटमट और आईटी सिटिफके ट जारी िकए जाएंगे. हालांिक, अगर ाहक अित र कॉपी/डु ीके ट सिटिफके ट का अनुरोध करते ह, तो कं पनी ऊपर िबंदु 2 म बताए गए उपयु शु लेगी.

साथ ही, हम अपनी वेबसाइट पर ाहक पोटल म ितमाही अकाउंट ेटमट भी काि शत करगे. ाहक के रिज ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस से/ईमेल से सूचना भेजी जाएगी.

5. इं ोरस:

a) लाइफ इं ोरस ीिमयम ₹ ________ (लगभग). एसएचएफएल ने इं ोरस कं पनी के अंडरराइिटंग मानदंडों के अनुसार लाइफ कवर दान करने के िलए इं ोरस कं िपनयों से समझौते िकए ह. उधारकता(ओं) को मेिडकल जांच करानी पड़ सकती है और ाव की मंजूरी के वल इं ोरस कं पनी के िववेकाधीन है और इस संबंध म एसएचएफएल की कोई भूिमका नहीं है.
ीिमयम इं ोरस कं पनी तय करती है और यह इं ोड की लोन राि श, अिविध, आयु और मेिडकल इितहास पर आधा रत होता है.
ीिमयम का भुगतान इस कार िकया जा सकता है:-
   a) लोन की पूरी अिविध के िलए पूरा ीिमयम एक ही बार म
   b) इं ोरस कं पनी ारा तय वष की सं ा तक हर वष वाि षक ीिमयम का भुगतान. (इसकी अनुमित के वल उन मामलों म दी जाएगी जहां इं ोरस कं पनी को लोन की पूरी अिविध के िलए पूरा ीिमयम एक ही बार म लेने की अनुमित नहीं है.) मामला चाहे जो हो, जो खम शु होने से पहले उधारकता ारा ीिमयम देय होता है. इस संबंध म िकसी भी चूक के िलए एसएचएफएल िज़ ेदार नहीं है.

b) पसनल ए ीडट इं ोरस: एसएचएफएल ने ए ीडट के िव जो खम को कवर करने के िलए इं ोरस कं िपनयों के साथ समझौते िकए
ह. यिद लाइफ कवर का िवक नहीं चुना जाता है, तो उधारकता पसनल ए ीडट कवर का िवक चुन सकते ह. ीिमयम लोन की राि श पर आधा रत होता है और कवरेज 5 वष के िलए होती है िजसके बाद वह इं ोरस कं पनी ारा सूिचत िकए अनुसार र ूअल ीिमयम का भुगतान िकए जाने पर र ू कराई जा सकती है. उधारकता पसनल ए ीडट के साथ-साथ गंभीर बीमा रयों, ईएमआई सुर ा और हॉ टल कै श के िलए भी अित र कवर चुन सकते ह. अिधकतम कवरेज अविध 5 वष है और इनम से ेक अित र कवर का
ीिमयम कवरेज राि श और अविध पर आधा रत होता है. अविध की समा पर, इं ोरस कं पनी ारा सूिचत के अनुसार र ूअल ीिमयम का भुगतान करने पर पॉिलसी र ू कराई जा सकती है. इस संबंध म िकसी भी चूक के िलए एसएचएफएल िज़ ेदार नहीं है.

c) हालांिक, कं पनी ने इं ोरस कं िपनयों के साथ समझौते िकए ए ह, पर उधारकता अपनी पसंद की इं ोरस कं पनी चुनने को तं ह.

6. लोन के िलए िस ो रटी:

a) बंधक रखी जाने वाली ाइमरी िस ो रटी की जानकारी:

b) गारंटी, अगर कोई हो, की जानकारी:

c) कोलैटरल/अंत रम िस ो रटी, अगर कोई हो:

d) िस ो रटी िनिमत नही ंकरने या िस ो रटी जमा नहीं करने पर दंड शु

ॉपट की खरीद के संबंध म: ॉपट के रिज ेशन की तारीख से 45 िदनों के भीतर सेल डीड न िमलने पर, टाइटल/सेल लीड की ा की िनयत तारीख से लेकर टाइटल/सेल डीड की वा िवक ा तक बकाया देयता पर ित वष 1% की दर से दंड शु लगेगा अिध हण के मामले म: यिद उधारकता ारा 30 िदनों के भीतर टाइटल डीड सबिमट नहीं िकए जाते ह, तो ओ रिजनल डॉ ूमट िमलने की िनयत तारीख से लेकर ओ रिजनल डॉ ूमट की वा िवक ा तक बकाया देयता पर ित वष 2% की दर से दंड शु लगेगा.

7. लोन िड समट की शत:

लोन का िड समट इनके अधीन होगा

a) ॉपट का मािलकाना हक पूरी तरह से यर हो, मा हो, ऋणभार से मु हो और िब ी-यो हो.

b) सभी कानूनी ीकृ ितयां उपल हों और ॉपट का िनमाण अनुमोिदत योजना के अनुसार हो.

c) ॉपट के संबंध म उधारकता का यं का योगदान लगाया जा रहा हो (ॉपट की कु ल कीमत और लोन रािश के बीच का अंतर यं का योगदान होता है). उधारकताओं को अपने योगदान के ोतों को मािणत करने वाला डॉ ूमटरी ूफ सबिमट करना होगा.

d) िनमाण/ ोजे की गित के आधार पर एसएचएफएल ारा िनधा रत िक ों या एकमु रािश म लोन िड स िकया जाएगा.

e) लोन िड समट से पहले एसएचएफएल ारा जो भी अ शत िनधा रत की जाए उसका अनुपालन.

f) अगर िपछले िड समट की तारीख से 18 महीने बाद भी लोन पूरा िड स नहीं होता है तो एसएचएफएल पहले ही िड स हो चुके लेवल पर लोन को ीज़ कर देगा और उधारकता िड स हो चुकी रािश के िलए ईएमआई शु करगे. ऐसा िकए जाने पर (ऊपर बताए अनुसार तब तक िड स हो चुके लोन की सीमा तक) लोन रािश की ऐसी ीिज़ंग के समय बकाया लोन, लोन की बकाया अविध, उधारकता की आयु और उस समय चिलत आरओआई के आधार पर तथा एसएचएफएल ारा एकमा यं के िववेकाधीन तय िकए गए तरीके से व सीमा तक, ईएमआई की िफर से गणना की जाएगी और इस ए ीमट म कही गई िकसी भी बात के बावजूद पुनभुगतान संशोिधत िनयमों के अनुसार िकया जाएगा. एसएचएफएल अपने िववेकाधीन और मामले की यो ताओं के आधार पर अविध को 18 महीनों से आगे बढ़ा सकता है या लोन का साइज़ घटाए िबना िड स हो चुके अंश के िलए ईएमआई शु करने का िवक चुन सकता है.

8. अगर लोन मंजूर नहीं होता है तो ोसेिसंग फीस की वापसी:

हाउिसंग और नॉन-हाउिसंग लोन के िलए दी गई ूनतम अि म ोसेिसंग फीस (जीएसटी सिहत) वापस नहीं होती है. बाकी ोसेिसंग फीस म से, के वल 75% (पहले ही चुकता जीएसटी को छोड़कर) ही वापस िकया जा सकता है, बशत उधारकता िकसी कारण से लोन न ल. एसएचएफएल ारा नामंजूरी के मामले म, शेष रािश (ूनतम अि म फीस और पहले ही चुकता जीएसटी छोड़कर) पूण प से लौटा दी जाएगी.

9. अ :

िनयामक/सरकार आिद ारा घोिषत िकसी लाभ वाली िवशेष ीम के तहत िदए गए लोन, ीम के तहत यो ता के संबंध म िनयामक/सरकार ारा ऑिडट के अधीन ह और अगर बाद म िकसी तारीख को यह पाया जाता है िक वह लोन, ीम के िनधा रत मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो ाहक को पहले ही िदए जा चुके लाभ/स डी वापस िलए जाएंगे और सरकार/िनयामक को लौटाए जाएंगे.

10. लोन और ाज का पुनभुगतान:

लोन का पुनभुगतान हर महीने ईएमआई के प म िकया जाता है िजसकी जानकारी इस कार है:

a) अगर लोन एकमु रािश म िड स आ है तो लोन िड समट वाले महीने से अगले महीने का पहला िदन ईएमआई शु होने की तारीख होगा. साथ ही, िड समट की तारीख से महीने के अंत तक की खंिडत अविध के िलए पीईएमआई (ी-ईएमआई ाज) देय होती है.
b) अगर लोन एकमु रािश म महीने की 1, 2 या 3 तारीख को िड स आ है, तो ईएमआई उसी महीने शु हो जाएगी और पहली ईएमआई उसी महीने म देय होगी.
c) अगर लोन िक ों म िड स आ है, तो िड समट की तारीख से ईएमआई की शु आत तक, िड स हो चुकी कु ल रािश पर हर महीने ाज देय होती है. अंितम िड समट वाले महीने से अगले महीने का पहला िदन ईएमआई शु होने की तारीख होगा.
d) या िफर, अगर लोन िक ों म िड स आ है तो उधारकता िड स हो चुकी रािश के िलए ईएमआई का भुगतान करने का िवक चुन सकते ह. ऐसे मामलों म, लोन के पहले िड समट वाले महीने से अगले महीने का पहला िदन ईएमआई शु होने की तारीख होगा. िड स हो चुकी कु ल रािश के आधार पर ईएमआई अलग-अलग होगं ी. साथ ही, िड समट की तारीख से महीने के अंत तक की खंिडत अविध के िलए पीईएमआई देय होती है.
e) भुगतान की देय तारीख हर महीने का अंितम िदन है. उधारकता हर महीने की 5,10, या 15 तारीख ईएमआई/पीईएमआई के भुगतान की िबिलंग तारीख के प म चुन सकते ह.
f) ईएमआई का भुगतान ई-एनएसीएच/एनएसीएच जैसे इले ॉिनक मोड के ज़ रए िकया जाता है.
g) ईएमआई/पीईएमआई के भुगतान म देरी पर 24% ित वष की दर से दंड शु देय है. इसकी गणना उस अविध के िलए की जाती है िजतनी अविध के िलए ईएमआई/पीईएमआई बकाया रही है.
h) चुकाई न गई हर रािश के िलए चेक/एनएसीएच/ईसीएस/ऑटो डेिबट अ ीकृ ित शु ₹500/- + जीएसटी ित घटना, ित माह 2 घटनाओं तक, और ₹10,00/- + जीएसटी ित घटना, ित माह 2 से अिधक घटनाओं के िलए, लागू ह. ये शु बिकं ग शु ों के आधार पर बदले जा सकते ह.

िड समट तारीख का अथ है फाइिनशयल इं मट का ाहक ारा िविधवत प से ीकार िकया जाना, (या) क मर के अनुरोध पर िनयामक अिधदेश के अनुपालन म इ त खाते म जमा िकए जाने की तारीख से है

11. <u>भुगतानों का िविनयोजन:</u>

इस लोन ए ीमट के तहत उधारकता या उधारकता की ओर से िकसी थड पाट ारा उधारकता के लोन अकाउंट को े िडट करने के िलए िकया गया कोई भी भुगतान आम तौर पर िन िल खत म म देय रािशयों के मद म िविनयोिजत िकया जाएगा:

a) उपगत ए खच
b) भुगतान म देरी पर दंड शु
c) बकाया पीईएमआई/ईएमआई
d) वतमान म देय पीईएमआई/ईएमआई
e) अ आक क शु , जैसे चेक/एनएसीएच/ईसीएस/ऑटो डेिबट रटन शु , पूव-भुगतान शु इ ािद f) एडवांस ईएमआई
g) पूव-भुगतान

एसएचएफएल के पास उधारकता को सूचना देकर उधारकता ारा े िषत िकसी भी धनरािश के िविनयोजन का म/अनुपात बदलने का अिधकार सुरि त है.

12.<u>बकाया रािशयों की वसूली:</u>

पीईएमआई/ईएमआई के भुगतान म देरी होने पर, उधारकताओं से िविभ मा मों से संपक करके देय रािश का पुनभुगतान करने को कहा जाएगा. अगर देय रािश का पुनभुगतान नहीं िकया जाता है और अकाउंट के अनजक आ (एनपीए) बनने की संभावना है, तो उधारकताओं को जाग कता नोिटस भेजे जाएंगे िजनम उ चूक के प रणामों के बारे म बताया जाएगा. अगर तब भी रािश का भुगतान नहीं होता है और अकाउंट एनपीए बन जाता है, तो उधारकताओं को एक और नोिटस भेजा जाएगा िजसम उ एक िनधा रत अविध के भीतर लोन अकाउंट को िनयिमत करवाने को कहा जाएगा. अगर उधारकता नोिटस िमलने के बाद भी अकाउंट को िनयिमत कराने म िवफल रहते ह, तो

एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोिटस भेजकर लोन वापसी की मांग की जाएगी. एसएआरएफएईएसआई अधिनियम ने िव ीय सं ान को कानूनी श यां दी ह, जैसे.

(i) भुगतान की ा के िलए, बतौर िस ो रटी रखे गए एसेट को क े म लेना, इसम एसेट की लीज़/असाइनमट या िब ी ारा टांसफर का अधिकार शािमल है.

(ii) लीज़, असाइनमट या िब ी ारा टांसफर का अधिकार लागू करने से पहले, बतौर िस ो रटी रखे गए एसेट को क े म लेना और सील करना.

(iii) अगर बतौर िस ो रटी रखे गए एसेट की िब ी के बाद, बतौर िस ो रटी रखे गए एसेट की कीमत देय राशियों की वसूली के मद म ए कानूनी खच और आक क शु ों समेत, कु ल देय राशियों को कवर करने के िलए पया नहीं है, तो बकाया देय की वसूली के िलए कानूनी कायवाही शु करना.

उधारकता के अकाउंट से संबंिधत े िडट जानकारी मािसक अंतराल पर े िडट इ ॉमशन कंपिनयों को दी जाएगी. े िडट इ ॉमशन कंपिनयों के यहां मौजूद े िडट इतिहास पर ितकू ल भाव से बचने के िलए, हम उधारकताओं को लोन राशि पर देय राशि का समय से भुगतान सुिनि त करने की सलाह देते ह.

12. <u>ाहक सेवाएं:</u>

a) बिकं ग काय णाली को बढ़ावा देने के िलए, हम कै श भुगतान को ो ािहत नहीं करते. हालांिक, अपवाद प मामलों म, जब िकसी देय रािश या शु का भुगतान कै श म िकया जाता है, तो हमारी सलाह है िक उधारकता ऐसा भुगतान हमारी िकसी ां च म कर या हमारे अधिकृ त कमचा रयों को कर और िकए गए भुगतान की कै श रसीद ल. कै श भुगतान के िलए कै श हडिलंग शु लागू होते ह जो इस कार ह:

भुगतान की रािश	लागू शु
₹2000 तक/-	शू
₹2001/- से ₹10000/- तक/-	₹30/- + जीएसटी ित रसीद
₹10001/- से ₹50000/- तक/-	₹60/- + जीएसटी ित रसीद
₹50001/- से ₹100000/-	₹150/- + जीएसटी ित रसीद
₹100001/- से ₹1,99,000/-	₹200/- + जीएसटी ित रसीद

b) िड समट के बाद की िकसी भी आव कता, जैसे अकाउंट े टमट, इनकम टै े टमट इ ािद, के िलए उधारकता उस ां च को कॉल कर सकते ह/िलख सकते ह जहां से लोन िलया गया है; मांगी गई जानकारी 7 काय िदनों के भीतर ईमेल/डाक से भेज दी जाएगी.

c) िल खत अनुरोध पर ाहक को टाइटल डॉ ूमट की फोटोकॉपी उपल कराई जाएगी और ऐसे े क अनुरोध के िलए ₹250/- + जीएसटी का भुगतान करना होगा. भुगतान करने पर, अनुरोध िकए गए डॉ ूमट 7 काय िदनों के भीतर डाक से भेज िदए जाएंगे.

d) लागू शु ा होने की तारीख से 21 िदनों के भीतर बकाया लोन/सेटलमट िफगर े टमट जारी िकया जाएगा.

e) लोन ोज़ होने पर, उधारकता ारा अनुरोध िकए जाने पर हमारी ां च के मा म से 30 काय िदनों के भीतर उधारकता को डॉ ूमट लौटा िदए जाएंगे. अगर लोन ोज़ होने से एक महीने के भीतर डॉ ूमट नहीं िलए जाते ह, तो ां च वह डॉ ूमट सटल डॉ ूमट ोरेज को भेज दगी और उधारकता को डॉ ूमट लेने आने की संभािवत तारीख के बारे म ां च को नई अि म सूचना देनी होगी. अगर लोन ोज़ होने की तारीख से 45 िदनों के भीतर डॉ ूमट नहीं िलए जाते ह, तो उधारकता ारा ₹1,000/- + जीएसटी का भुगतान िकया जाना होगा.

f) लोन अकाउंट के पूण पुनभुगतान/सेटलमट से 30 िदनों के भीतर ओ रिजनल ॉपटी डॉ ूमट रलीज़ कर िदए जाएंगे और अगर िकसी रिज ी म ऋणभार रिज र िकया गया है, तो उसे हटा िदया जाएगा. अगर भारतीय रज़व बक के मानदंडों के अनुसार उपयु का अनुपालन ऐसे िकसी कारण से नहीं होता है िजसके िलए एसएचएफएल को जवाबदेह ठहराया जा सकता है, तो ऐसे म एसएचएफएल िज़ ेदार होगा.

14. िशकायत िनवारण:

िकसी भी िशकायत के मामले म, ाहक उस ान के ां च मैनेजर से संपक कर सकते ह जहां लोन के िलए अ ाई िकया था/जहां से लोन िलया है. अगर िशकायत अब भी हल नहीं की गई है, तो वे customercare@sundaramhome.in पर ईमेल के मा म से अपनी िशकायत दज करा सकते ह. िशकायत को 30 काय िदनों के भीतर हल िकया जाएगा. अगर िशकायतकता िति या से असंतु है या अगर कोई िति या ही नहीं दी गई है, तो वह इस पते पर िलख सकते ह/मेल कर सकते ह

नेशनल हाउिसंग बक, िशकायत िनवारण िवभाग, 4th ोर, कोर 5A, इंिडया हैिबटेट सटर, लोधी रोड,
नई िद ी 110 003
वेब-िलंक: https://grids.nhbonline.org.in

कृ पया जान ल िक अगर आगे कोई बदलाव होता है, तो अंितम लोन ए ीमट इस प म विणत िनयमों और शत पर अिध ामी होगा.

कृ पया ान द िक जीएसटी की दर भारत सरकार ारा बदली जा सकती है. शु ों के भुगतान की तारीख पर लागू जीएसटी दर लागू होगी और सरकार ारा लगाया गया अित र उपकर लागू िकया जाएगा.

िकसी भी अ ीकरण के िलए, आप उस ान के ां च मैनेजर से संपक कर सकते ह जहां आपने लोन के िलए अ ाई िकया है/जहां से आपने लोन िलया है. िकसी भी ीकरण के िलए उधारकता हमारी दि ण भारत म त ां च म सभी काय िदवसों पर सोमवार से शिनवार सुबह 9.30 से शाम 6.00 बजे के बीच और बाकी िकसी भी ां च म सुबह 10.00 से शाम 6.30 बजे के बीच आ सकते ह. हर महीने के पहले और दूसरे शिनवार छु ी होगी और अगर महीने म पांच शिनवार ए, तो तीसरे शिनवार भी छु ी होगी.

ऊपर िलखे िनयम और शत उधारकता(ओं) ने पढ़ िलए ह/कं पनी के कमचारी ारा उधारकता(ओं) को पढ़कर सुनाए गए ह और उधारकता(ओं) ने समझ िलए ह. हम आपकी सेवा का अवसर देने के िलए ध वाद. कृ पया अपनी ीकृ ित के प म इस प की डु ीके ट कॉपी हम वापस भेज.

भवदीय, सुंदरम होम फाइनस िलिमटेड

अिधकृ त ह ा रकता ाहक के ह ा र